

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु अनुदान	प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने से समितियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता।	2130000	लगभग 12,00,000 कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
2	राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय	योजनान्तर्गत प्रदेश के राज्य सहकारी विकास बैंक तथा 12 जिला सहकारी विकास बैंकों का विलय क्रमशः राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया गया है । विलय किये जाने से बैंकों की संचित हानि एवं प्रावधान में कमी की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य द्वारा वहन किया जाना है।	576600	यह राशि 05 सहकारी बैंकों को प्रदाय की जायेगी	
3	सहकारी शक्कर कारखाना	सहकारी शक्कर कारखानों को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना ।	500000	04 सहकारी शक्कर कारखाना को गन्ना पेराई कार्य हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
4	सहकारी समितियों के लिए अंशपूजी	सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, सहकारी शक्कर कारखाना, मक्का प्रसंस्करण इकाई, विपणन समितियां, आदि को उनकी अंशपूजी में धनवेष्ठन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	400800	1. 01 विपणन समिति कोण्डागांव (मक्का प्रसंस्करण ईकाई) 2. सहकारी शक्कर कारखाना में इथेनॉल प्लांट स्थापना 3. 300 कृषि साख सहकारी समितियों हेतु 4. 06 विपणन सहकारी समितियों हेतु 5. अंशपूजी में धनवेष्ठन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी	
5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य सरकार की सहायता से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	100000	लगभग 333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा	

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
6	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण	विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न व्यवसाय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	9000	इस योजना के द्वारा 06 विपणन सहकारी समितियों को विभिन्न व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।	
7	सहकारी समितियों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सदस्य बनाने के लिये अंश कय हेतु अनुदान	सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सदस्य बनाने के लिए अंशकय हेतु अनुदान ।	5500	इस योजना के द्वारा लैम्स/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/ विपणन सहकारी समितियों में 110000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया जावेगा ।	
8	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन करना	5000	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 05 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता सामाग्री का विक्रय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी	
9	जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी होने वाली की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराना	2000	लगभग 200 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनके व्यवसाय में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा	